(भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2017 एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि. ..... (अ), केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (I) में सा.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

3	4	5
"(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो; (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा (ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं	12	-

सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं ।		
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं	18	-”

(फाइल संख्या 354/173/2017 –टी.आर.यू.)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

(टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 08/2017, एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 683 (अ.), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 22 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1049 (अ.) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था ।